

मुख्यालय

पुलिस

महानिदेशक,

उत्तर

प्रदेश

1-तिलक मार्ग, लखनऊ ।

परिपत्र संख्या: डीजी 21/2015

दिनांक: अप्रैल 04, 2015

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक,
तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।

विषय: जिन कार्मिकों के जी.पी.एफ. का रख रखाव जनपद/शाखा एवं इकाई स्तर पर किया जा रहा है, उन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बाद जी.पी.एफ. लेखापर्ची निर्गत किये जाने विषयक ।

--:--:--:--

यह संज्ञान में आया है कि जिन कार्मिकों(मु0आ0, आरक्षी, चतुर्थ श्रेणी कर्मी आदि) के जी.पी.एफ. का रख रखाव जनपद/शाखा एवं इकाई स्तर पर किया जा रहा है, उन कार्मिकों को निर्धारित समय से जी.पी.एफ. पासबुक नहीं दिखाई जा रही है, जिससे उन्हें यह ज्ञात नहीं हो पाता है कि उनके जी.पी.एफ. खाते में कितनी धनराशि अवशेष है अथवा उनके द्वारा लिये गये अग्रिम का समायोजन हो रहा है अथवा नहीं। यहाँ तक कि वे जीपीएफ से अग्रिम हेतु आवेदन करते समय जानकारी के अभाव में केवल अपना हस्ताक्षर बनाकर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देते हैं एवं पूर्णतया कार्यालय पर निर्भर रहते हैं कि उन्हें कितनी धनराशि अग्रिम स्वरूप मिल सकती है या उन्हें कितनी धनराशि प्राप्त होगी। जबकि इन कार्मिकों को नियत समय पर उनकी अद्यावधिक जीपीएफ पासबुक दिखाये जाने हेतु समय-समय पर निर्देश भी निर्गत किए गए हैं ।

2. वर्तमान में उ0प्र0 पुलिस विभाग के अराजपत्रित पुलिस कार्मिकों हेतु प्रचलित वेब इनेबल्ड नामिनल रोल एवं पे-रोल सिस्टम साफ्टवेयर के क्रियान्वयन का कार्य पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय के स्तर पर किया जा रहा है एवं आन लाइन डाटा जनपद/शाखा एवं इकाई स्तर पर अपडेट हो रहा है। ऐसी स्थिति में जिन कार्मिकों(मु0आ0, आरक्षी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मी) के जी.पी.एफ. का रख रखाव जनपद/शाखा एवं इकाई स्तर पर किया जा रहा है, उन्हें भी यदि प्रत्येक वित्तीय वर्ष जी.पी.एफ. की लेखापर्ची उपलब्ध करा दी जाय, तो उनके लिए काफी सुविधाजनक रहेगा ।

3. अतः एदतुद्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि जिन कर्मिकों के जी.पी.एफ. का रख रखाव जनपद/शाखा एवं इकाई के स्तर पर किया जा रहा है उन कार्मिकों के लिए भी महालेखाकार, उ0प्र0 की भांति जी.पी.एफ. लेखा पर्ची जनपद/शाखा एवं इकाई स्तर पर निर्गत किये जाने हेतु वेब इनेबल्ड नामिनल रोल साफ्टवेयर के पे-रोल सिस्टम में व्यवस्था कराकर सर्वसम्बन्धित को अवगत कराने का कष्ट करें ।

(अरविन्द कुमार जैन)

पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ कि कि उक्त साफ्टवेयर के तैयार होने की सूचना प्राप्त होने पर उसमें आवश्यक सूचनाओं की फीडिंग कराकर अधीनस्थ कार्मिकों की वित्तीय वर्ष-2014-15 की जी.पी.एफ. लेखा पर्ची माह जून-2015 तक निर्गत करना सुनिश्चित करें :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक 'स्थापना', उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।